

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या :- 02/42/2017

भगवान बनाम छोटेलाल
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 20.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट कलेशान पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 08.05.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 2927/4794/0.01, 2926/0.14, 2933/0.17, 2936/0.17, 2932/4787/0.03, 3022/0.19, 3048/0.10, 3982/0.12, 3982/4637/0.04 है। वाके ग्राम पुराना राजगढ तहसील राजगढ में वकील प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। परन्तु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस प्रस्तुत कर पालना नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लगभग 3 वर्ष का समय हो गया है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् नोटिस पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 21/0.60, 132/0.25, 133/0.05, 134/0.12, 135/0.35, 136/0.43, 137/0.06, 20/0.92 है। वाके ग्राम सूरेर तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट कलेशान)